



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19704

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1115/2026

साधु राम.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:विजय शंकर शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय शंकर शुक्ला और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 25.10.1985 को बेलदार के रूप में नियुक्त किया गया था, और उसकी सेवाएँ 08.02.2005 को नियमित कर दी गईं। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का भुगतान नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे इस दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम तीसरे प्रतिवादी, अधिशासी अभियंता, बरेली सर्किल PWD, बरेली द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
6. दोनों पक्षों के निवेदनों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या-3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है; प्रतिवादी संख्या-3, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार सख्ती से, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करेगा। यदि तीसरे प्रतिवादी की यह राय हो कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो वे संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज देंगे।
7. यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि इस रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
8. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आशु

Translated version. Not for Legal Use.

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”